भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 442
दिनांक 08 **दिसंबर**, 2022

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

†442. **श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ओएनजीसी, गेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल सहित निजी तेल कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कल्याणकारी कार्यों पर धनराशि खर्च करने के निदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों और परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकृत/अस्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) से (ग): ठीक पिछले वित्त वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट अधिकतम कारोबार अथवा निवल मूल्य अथवा निवल लाभ के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत प्रत्येक कंपनी ठीक पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत लाभ निगमित सामाजिक ज़िम्मेदारी (सीएसआर) के तहत कल्याणकारी कार्यों पर ख़र्च करने के लिए अधिदेशित है। ऐसी कंपनियों में ओएनजीसी, गेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल शामिल हैं।

ओएनजीसी, गेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल आदि अपने सीएसआर के भाग के रूप में अपने कार्य केंद्रों के आस-पास स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता और पेय जल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणोन्मुखी पहलों तथा बुज़ुर्गों और दिव्यांगों की देख-भाल पर विशेष ज़ोर देते हुए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत पहचाने गए शीर्षों के तहत सीएसआर कार्यकलाप करती हैं।

ओएनजीसी, गेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ख़र्च की गई सीएसआर निधि के ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए सीएसआर कार्यकलापों और उन पर ख़र्च की गई निधियों के राज्य/परियोजना/एजेंसी-वार ब्यौरे वैबसाइट www.ongcindia.com, www.gailonline.com, www.hindustanpetroleum.com, www.bharatpetroleum.com और www.iocl.com पर उपलब्ध हैं।

****

अनुलग्नक

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के बारे में श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा दिनांक 8.12.2022 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 442 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

ओएनजीसी, गेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल का कार्यकलाप-वार सीएसआर व्यय (लाख रुपए में)

मद सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
(i)	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान	58383.45	30274.96	46013.81
(ii)	विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, और दिव्यांगों के बीच रोजगार वृद्धि परियोजनाओं हेतु व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	73271.40	27524.62	30210.45
(iii)	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए अनाथलय और हॉस्टलों की स्थापना, वृद्ध आश्रमों, डे केयर सेंटर की स्थापना तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य सुविधाओं की स्थापना तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा पेश आ रही असमानता को कम करना	3104.05	2254.45	2964.99
(iv)	पर्यावरणात्मक दीघकालिकता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और गंगा के पुनुरूद्धार हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान सहित मृदा, वायु और जल की गुणवत्ता का अनुरक्षण सुनिि चित करना	18846.40	4997.90	5292.24

(v)	ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों तथा कला कृतियों के जीर्णोद्धार सहित राष ीय धरोहर, कला और संस्कृति का संरक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना तथा पारंपरिक कला और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देना	1592.11	1597.34	588.43
(vi)	सशस्त्र बलों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों के लाभ के लिए उपाए	166.04	31.00	101.39
(vii)	ग्रामीण खेलों, राष ीय तौर पर मान्यता प्रा त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	1931.76	1201.57	1498.88
(viii)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसं यकों तथा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राष ीय राहत कोष अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान	10000.00	72000.00	25858.00
(ix)	शैक्ष णक संस्थाओं में स्थित टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटरों, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, को योगदान दिया गया अथवा निधियां उपलब्ध करवाई ग ।	0.00	5.00	756.66
(x)	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	6725.62	2795.90	3301.85
(xi)	झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र का विकास	1187.26	27.00	0.00
(xii)	राहत, पुर्नवास और पुनर्निर्माण कार्यकलापों सहित आपदा प्रबंधन	2110.57	1373.00	3956.15
	प्रशासनिक/विविध उपरिव्यय	3025.94	2154.11	2917.58
	योग	**180344.62**	**146236.86**	**123460.43**

(स्रोत -ओएनजीसी, गेल, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएच)

****